



छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी, 2014 (माघ 17, 1935)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, बोरियाखुर्द ग्राम पंचायत में स्थित गजराज बांधा तालाब को पाटकर सड़क निर्माण कार्य कराये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, जिला राजनांदगांव में मडियान जलाशय के बांध की ऊंचाई बढ़ाने एवं नहर लाइनिंग कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत नवागढ़ में शासकीय महाविद्यालय खोलने,
- (2) श्री केशव चन्द्रा, सदस्य, जैजपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम लखुरी में हाई स्कूल खोलने,
 - (ii) ग्राम मलनी से खजुरानी तक सड़क निर्माण करने,
 - (iii) ग्राम कपिस्टा में हाई स्कूल खोलने,
 - (iv) ग्राम भोथिया में महाविद्यालय खोलने,
 - (v) ग्राम खम्हरिया से छितापड़रिया तक सड़क निर्माण करने,
 - (vi) ग्राम छितापड़रिया में हाई स्कूल खोलने,
 - (vii) ग्राम भोथिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
 - (viii) ग्राम चिखलरौंदा से आमापाली तक सड़क निर्माण करने,
 - (ix) ग्राम हरदी में बोराई नदी पर स्टापडेम निर्माण करने,
- (3) श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य, बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम रेवे से खम्हरिया मार्ग में शिवनाथ नदी पर पुल निर्माण करने तथा
 - (ii) ग्राम सोड से करामाल मार्ग में सोड नाले पर पुल निर्माण करने
 के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

नियमित समय

15 मिनट (1)

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (2)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

5. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में सीमेंट की दरों में बेतहाशा वृद्धि होने के संबंध में श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेगे.

रायपुर
दिनांक 5 फरवरी, 2014

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.